रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 1986/अग्रहायण 26, 1908
No. 283] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 1986/AGRAHAYANA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. एफ. 4(5)डब्ल्यू एण्ड एम/86 :—10.20 प्रतिशत ऋण, 1993 (तीसरा निर्गम) और 11.50 प्रतिशत ऋण, 2006 (चौथा निर्गम) के लिये 800 करोड़ रुपयों की कुल राशि के वास्ते 6 जनवरी, 1987 को बैंकिंग समय की समाप्ति तक अभिदान नकदी में अथवा भारत सरकार के 5½ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1986 की प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किये जायेंगे । परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 6 जनवरी, 1987 को छुट्टी घोषित किये जाने पर अगले कार्य दिन बैंकिंग समय की समाप्ति तक संबंधित आदाता कार्यालयों में अभिदान स्वीकार किये जायेंगे । सरकार को 800 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत या यथासंभव उसके निकट तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है ।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 880 करोड़ रुपयों से अधिक हो तो नकदी वाले अभिदाताओं को आनुपातिक आधार पर आंशिक आबंटन किया जायेगा । यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आंशिक आबंटन के बाद यथाशीघ्र अधिक अभिदान की राशि लौटा दी जायेगी । इस प्रकार लौटायी गयी राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जायेगा ।

3. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 14 जुलाई, 1993 को सममूल्य पर प्रतिदेय 10.20 प्रतिशत ऋण, 1993 (तीसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 14 जुलाई, 1993 को सममूल्य पर वापिस अदा किया जायेगा।

(2) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000 00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 6 जनवरी, 1987 से वार्षिक 10.20 प्रतिशत होगी। 6 जनवरी, 87 से 13 जनवरी, 1987 तक (सहित) की अवधि का ब्याज 14 जनवरी, 1987 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 14 जुलाई और 14 जनवरी को ब्याज अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा। ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

4. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 12 मई, 2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय 11.50 प्रतिशत ऋण, 2006 (चौथा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 12 मई, 2006 को सममूल्य पर वापस अदा किया जायेगा।

(2) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000.00 होगा।

(3) ब्याज —इस ऋण की ब्याज दर 6 जनवरी, 1987 से वार्षिक 11.50 प्रतिशत होगी। 6 जनवरी, 1987 से 11 मई, 1987 (सहित) तक का ब्याज 12 मई, 1987 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 12 नवम्बर और 12 मई को ब्याज अदा किया जायेगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 8 और 9 के उपबन्धों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा। ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

परिवर्तन की शर्तें

5. 5¼ प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1986 की प्रतिभूतियां सममूल्य पर नये ऋणों में परिवर्तन के लिये स्वीकार की जायेंगी। परिवर्तन के लिये प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर 19 दिसम्बर, 1986 सहित उस तारीख तक 5¼ प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया जायेगा। इसके अलावा नयी प्रतिभूतियां जारी करते समय 16 दिनों के लिये (अर्थात् 20 दिसम्बर 1986 से 5 जनवरी, 1987 तक) आवेदित नये ऋण की ब्याज दर अर्थात् यथास्थिति 10.20 प्रतिशत या 11.50 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार पूर्वानुमानित ब्याज अदा किया जायेगा।

पूरक व्यवस्थाएं

6. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जायेंगे :—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गये स्थानों को छोड़कर भारत में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

7. ब्याज अदा करने का स्थान :—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों तथा भारत में जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप राजकोष में ब्याज अदा किया जायेगा।

8. ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गये कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जिन पर कर लागू नहीं है या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हों।

जिस धारक पर कर लागू नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर लागू है वह जिले के आयकर अधिकारी को आवेदन कर उनसे एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती करके उसे ब्याज अदा किया जाये।